

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@gov.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 653/संचा.-वि.स./2026
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2026

1. महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम
रायपुर
2. प्रबंध संचालक
छ.ग. राज्य गृह भंडार निगम
अटल नगर नवा रायपुर

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1449 अतारांकित द्वारा श्री देवेन्द्र यादव, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

—00—

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1449 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) दिनांक 28.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से (तारांकित प्रश्नों का अतिरिक्त जानकारी के साथ) भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 09/03/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 16/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : गोदामों में खाद्यान्नों के संरक्षण में दवाओं का प्रयोग

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1449) श्रीदेवेन्द्र यादव

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार निगम, भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य गोदामों में खाद्यान्न, गोदामों की क्षमता के अनुरूप रखा जाता है ? यदि हाँ, तो गोदाम का किराया किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ? गोदामों में रखे खाद्यान्न की सुरक्षा की जवाबदारी किसकी होती है? (ख) खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने हेतु किन-किन दवाइयों का प्रयोग किस-किस मात्रा में किया जाता है ? उपयोग की जा रही दवाइयों से उपयोगकर्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं हो रहा है ? जिसकी जांच और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है ?

Sent From : vidhan | Sent Date : 25/02/2026 10:40:14]

Remark :

swe
FLI